



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1876/ Type Approval No. 1876

मद/FOR ITEM: एंटेना यूनिट, पार्ट सं. 1344100000XX/

Antenna Unit, Part No.: 1344100000XX

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एवान्टेल लिमिटेड, प्लॉट सं.16, सेक्टर - III एचयूडीए एनक्लेव, माधपुर, हैदराबाद- 500 081 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स एवान्टेल लिमिटेड, प्लॉट सं.47/पी, एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, गंभीरम ग्राम, आनंदपुरम मंडल, विशाखपट्टनम- 531163, द्वारा उत्पादित “ एंटेना यूनिट, पार्ट सं. 1344100000XX” को असेंबली आरेखन सं. 134410000ई01-00, रिविज़न-03, दिनांक 20 सितंबर 2011, और एम डी आई दस्तावेज़ सं. एवीएल/एमएसएस/टीआरएक्स/आरसीएमए/एयू/एमडीआई/03 दिनांक 20 सितंबर 2011 के अनुसार बोईंग पी8आई मैरिटाइम पेट्रोल वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. एवीएल/एमएसएस/टीआरएक्स/आरसीएमए/टीआरई-पी/टीएस/02, इश्यू सं.01, रिविज़न सं. 02, दिनांक 28 मई 2011, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ ए ’ में संलग्न “ वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट ” में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the “Antenna Unit, Part No. 1344100000XX, designed & developed by M/s Avantel Limited, Plot No. 16, Sector -III HUDA Eclave, Madhapur, Hyderabad- 500 081 & Manufactured by M/s Avantel Limited, Plot No.:47/P, APIIC Industrial Park, Gambheeram Village, Anandapuram Mandal, Vishakapatnam - 531163 is here by approved for production as per (Assembly) Antenna Unit Drawing No. 134410000E01-00, Rev -03, Dated: 20th September 2011, and MDI Document No.: AVL/MSS/TRX/ RCMA/AU/MDI/03, Dated: 20th September 2011, for use in Boeing P8I Maritime Patrol Aircraft. It has been tested as per Governing Technical Specification Doc. No.: AVL/MSS/TRX/RCMA/TRE-P/TS/02, Issue No.:01, Rev No.:02, Dated: 28th May 2011, in co-ordination with RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1876
दिनांक/Date : 13 January 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

13/01/16

P. Jayapal

(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)